उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी

(उत्तराखण्डसर्वकारः)
'संस्कृतभवनम्', रानीपुरझालं, ज्वालापुरं, हरिद्वारम्–249407
Email: uksa2002@gmail.com, Website: www.uksa.ac.in

विज्ञापन संख्या :– 87/समूह–ग भर्ती/उ0सं0अ0/2021–22 दिनांक :– 05 जनवरी, 2022

शोध सहायक एवं लिपिक/कंसोल ऑपरेटर पद पर चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा अकादमी में समूह 'ग' के अन्तर्गत रिक्त **शोध सहायक** के 01 पद (सामान्य श्रेणी) एवं **लिपिक/कंसोल ऑपरेटर** के 01 पद (सामान्य श्रेणी) कुल 02 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	06 जनवरी, 2022
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	07 फरवरी, 2022
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि	अकादमी की बेबसाईट पर सूचना प्रकाशित की जायेगी।
परीक्षा शुल्क	कोई शुल्क नही।

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा अकादमी में समूह 'ग' के अन्तर्गत रिक्त शोध सहायक के 01 पद (सामान्य श्रेणी) एवं लिपिक/कंसोल ऑपरेटर के 01 पद (सामान्य श्रेणी) अर्थात कुल 02 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अकादमी कार्यालय अथवा अकादमी की वेबसाईट से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर आवेदन पत्र पूरित/भर कर अंतिम तिथि तक अकादमी कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। डाक विभाग द्वारा की गयी किसी भी देरी के लिये अकादमी उत्तरदायी नहीं होगी। अतः अपना आवेदन पत्र समय रहते प्रेषित करें। बॉय–हैंड/ई–मेल द्वारा/व्हट्सऐप/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अकादमी द्वारा शोध सहायक पद पर उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु अभ्यर्थियों की 100 अंको की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन मोड जो भी संभव होगी तथा लिपिक/कंसोल ऑपरेटर पद पर उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु अभ्यर्थियों की 100 अंको की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन माध्यम से व लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी व अंग्रेजी में टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रतियोगी परीक्षा के सम्बन्ध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं जिसमें परिवर्तन संभव है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से अकादमी की वेबसाइट तथा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी ई–मेल आईडी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। अकादमी द्वारा अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र डाक अथवा ई–मेल/वेबसाईट पर अपलोड के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों को भली–भांति अवश्य पढ़ ले तथा निर्धारित अर्हता होने के उपरान्त ही आवेदन पत्र अकादमी कार्यालय को प्रेषित करें।

आवेदन पत्र को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक भरें, गलत/त्रुटिपूर्ण भरे आवेदन पत्र के कारण आपका आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

चयन प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन की सूचना अकादमी की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

पदनाम :– शोध सहायक

कुल पद :– 01 (सामान्य श्रेणी)

(क) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र.सं0	विभाग	संस्था का नाम व पद नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की सं				
					WO	DFF	Ex.Ser.	PH	OTHER
1.	संस्कृत शिक्षा	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी (शोध सहायक)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–
			सामान्य	01	–	–	–	–	01
			कुल पद	01	–	–	–	–	01

(ख) वेतनमान :– 9300–34800 ग्रेड पे– 4200

(ग) पद का स्वरूप :– अराजपत्रित

(घ) आयु :– 21–42 वर्ष

(च) शैक्षिक अर्हता :–

<u>अनिवार्य अर्हता</u> :– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।
2. कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

पदनाम :– लिपिक/कंसोल ऑपरेटर

कुल पद :– 01 (सामान्य श्रेणी)

(क) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र.सं0	विभाग	संस्था का नाम व पद नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की सं				
					WO	DFF	Ex.Ser.	PH	OTHER
1.	संस्कृत शिक्षा	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी (लिपिक/कंसोल ऑपरेटर)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–
			सामान्य	01	–	–	–	–	01
			कुल पद	01	–	–	–	–	01

(ख) वेतनमान :– 5200–20200 ग्रेड पे– 1900

(ग) पद का स्वरूप :– अराजपत्रित

(घ) आयु :– 18–42 वर्ष

(च) शैक्षिक अर्हता :–

<u>अनिवार्य अर्हता</u> :– 1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति व कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग

भर्ती/चयन हेतु अन्य निर्देश :–

1. **लिखित प्रतियोगी परीक्षा** :– (i) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक प्रदान किया जायेगा व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) डुप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति/कॉर्बन कॉपी अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।

(vii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी बिन्दु संख्या (ii) के अनुरूप ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हे उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगी।

(viii) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को अकादमी की वेबसाईट पर अपलोड/प्रकाशित किया जायेगा।

(x) चयन परिणाम (Merit List) को अकादमी की वेबसाईट पर अपलोड/प्रकाशित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः– चयन के लिए लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 02 घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी।

अधिमानः– लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

2 . आयु :– आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2022 है। शोध सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष व लिपिक/कंसोल ऑपरेटर पद हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष व दोनों पदों हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

(क)—परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

(ख)— उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 191/XXX(2)/2021-30(10)2019 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021–2022 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष (शोध सहायक पद हेतु)/न्यूनतम 18 वर्ष (लिपिक कंसोल ऑपरेटर पद हेतु) व अधिकतम 43 वर्ष (दोनों पदों हेतु) से अधिक नही होनी चाहिये।

3. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, **परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।**

4. अनापत्ति प्रमाण–पत्रः– जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. **राष्ट्रीयता :–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :–

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

6. **चरित्र–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी अकादमी द्वारा की जायेगी।

7. **वैवाहिक प्रास्थितिः–** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

8. **शारीरिक स्वस्थताः–** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

9. **शुल्कः–** कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः दिये गये निर्देशों के परिपालन में उक्त भर्ती हेतु कोई भी परीक्षा शुल्क नही लिया जायेगा।

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को अवश्य पढ़ेः–

1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताऐं एवं अन्य अर्हताऐं अवश्य धारित करते हों, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अकादमी द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन व अकादमी द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
3. अकादमी अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नही देती है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो अकादमी से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सहायक रहें।

5. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:–** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण/शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा व उनके विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेगी।

6. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि अकादमी द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

7. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:–** परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

8. **परीक्षा भवन में आचरण:–** कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु अकादमी द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका *(OMR)* की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो एसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा।

9. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

10. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि अकादमी को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

11. अभ्यर्थियों को भर्ती से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं अकादमी की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी अकादमी की वेबसाइट **www.uksa.ac.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

12. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र हरिद्वार होगा।

13. **नोटः–** इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई उपरोक्त चयन प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का होगा।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी